संख्या 2595 /अठ्ठासी–1–2009

प्रेषक,

देश दीपक वर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

खाद्य एवं औषधि नियंत्रण अनुभाग   लखनऊ :दिनांक 05 अक्टूबर, 2009

विषय–नवगठित खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग के कार्मिकों के वेतन आदि के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सचिवालय प्रशासन विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1897/बीस–1–ई–2009–603(47)/90टी0 सी0–15, दिनांक 30.07.09 द्वारा उ0प्र0 शासन के अधीन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रणाधीन चिकित्सा अनुभाग–8 को समाप्त करते हुये खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग का गठन किया गया है।

2– उक्त गठन के पूर्व खाद्य एवं औषधि संवर्ग के अधिकारियों एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जो खाद्य एवं औषधि के कार्यालयों में कार्यरत थे, उनके वेतन इत्यादि का आहरण एवं वितरण का कार्य संबंधित जनपद मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा किया जाता था।

3– वर्तमान में नवगठित खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग के पृथक हो जाने के उपरान्त बजट इत्यादि की व्यवस्था करायी जानी है। अतः इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि नवगठित विभाग में कार्मिकों के वेतन आदि के भुगतान हेतु जब तक पृथक बजट व्यवस्था नहीं हो जाती है, तब तक जनपदों/मण्डलों में तैनात खाद्य एवं औषधि संवर्ग के उक्त कार्मिकों का वेतन आदि का भुगतान पूर्व की भाँति जनपद को आवंटित बजट से संबंधित जनपद के मुख्य-चिकित्साधिकारी द्वारा यथा पूर्ववत अग्रिम-आदेशों तक सुनिश्चित किया जाय।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–3–2063–दस/2009, दिनांक 16.09.2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(देश दीपक वर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 2595 (1)/अठ्ठासी–1–09 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1 महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 शासन।
3– प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0, लखनऊ।
5 महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
6– वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
7– समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
8– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/कोषाधिकारी उ0प्र0।
9– वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग–3
10– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दुर्गा शंकर मिश्र)
सचिव।